<u>न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **75/24 (वाद)**

GCMS No. : 2024/186

1. कैलाश पिता जोधराज जी हिंगड़, आयु वयस्क, निवासी नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. नाथुसिंह पिता सवसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी वांगरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. सोहनकुंवर पुत्री सवसिंह जी पत्नी हरिसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी वांगरोदा, हाल घणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. भंवरकुंवर पुत्री सवसिंह जी पत्नी नाथूसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फरारा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज०)
4. श्यामलाल पिता माधुलाल जी जाति प्रजापत, उम्र वयस्क, निवासी चराणा, हाल मुकाम गढवाड़ा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
5. नेहा पत्नी राहुल जी गुप्ता, उम्र वयस्क, निवासी अशोकनगर उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
6. पष्पादेवी पत्नी दुर्गाप्रसाद जी जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी गोवर्धन विलास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
7. पटवारी, पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादी।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 13.05.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वांगरोदा, पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) की आराजी नम्बर 530 रकबा 1.1655 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार एजनकुँवर पत्नी सवसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested

राजपूत के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 990 रकबा 1.4164 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार एजनकुँवर पत्नी सवसिंह राजपूत के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 940, 941 किता 2 कुल रकबा 1.7887 हैक्टयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार एजनकुँवर पत्नी सवसिंह राजपूत के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह राजपूत का निधन हो चुका है जिसके वारिस पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 एवं पुत्रीयां प्रतिवादी संख्या 2, 3 है।

2. यह कि खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह राजपूत ने अपने जीवनकाल में स्वयं का भरण पोषण एवं जीवन निर्वहन करने के लिये जायज जरूरियात रूपयों की सख्त आवश्यकता होने से दिनांक 22.07.2011 को उक्त वर्णित कृषि भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण हक हिस्से की कृषि भूमि को बिल एवज 8,50,000/—आठ लाख पचास हजार रूपये में मुझ वादी को विक्रय कर दी और विक्रेता एजनकुंवर ने विक्रय प्रतिफल की कुलिया राशि प्राप्त कर मुझ वादी के पक्ष में विक्रय पत्र लिखवाकर रजिस्ट्री करा विक्रीत कृषि भूमि का मौके पर कब्जा मुझ वादी को सुपुर्द कर दिया, तब से इस क्रय सुदा जमीन पर मुझ वादी का अपने परिवारजन सहित निरन्तर लगातार कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है और मैं वादी निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ और इस जमीन को काश्त योग्य बनाने में भी मुझ वादी ने काफी खर्चा किया है और परिवार सहित कड़ी मेहनत कर इस जमीन को आवादान कर विकसित की है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है। मुझ वादी ने पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा अपने क्रय सुदा हक हिस्से को अपने नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने हेतु तत्कालीन पटवारी हल्का को असल विक्रय पत्र भी सिपुर्द किया तथा पटवारी हल्का ने मुझ वादी को आश्वासन दिया था कि वह विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण मुझ वादी के नाम पर खोल देगें। असल विक्रय पत्र पटवारी हल्का को देने के उपरान्त मुझ वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested

कई बार पटवारी हल्का से जमीन मेरे नाम पर होने के बारे में पूछा गया तो पटवारी हल्का द्वारा हर समय टालम टूल किया जाता रहा और यह कहा जाता कि अभी टाईम नही मिल रहा है और टाईम मिलते ही रजिस्ट्री से जमीन आपके नाम पर नामान्तरकरण खोल दर्ज कर दूंगा। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा मेरी क्रयसुदा भूमि मुझ वादी के नाम पर अंकित नही की गई जिस वजह से आज भी मुझ वादी की खरीदसुदा कृषि भूमि विक्रेता एजनकुंवर के नाम पर ही अंकित चली आ रही हैं। जबकि विक्रेता खातेदार द्वारा अपने हक हिस्से को बेचने के पश्चात् विक्रेता या प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का उक्त भूमि में कभी भी कोई स्वत्व कब्जा अधिकार नही रहा है और न ही वर्तमान में है। मुझ वादी की खरीदसुदा जमीन मेरे नाम पर अंकन नहीं होने से मुझ वादी को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसलिये मैं वादी वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में मुझ वादी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये क्रय की गई हैं उसे अपने खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कराने का अधिकारी हूँ। जिसके लिये यह वाद आप न्यायालय में पेश है।

3. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। क्योंकि मुझ वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की माता एजनकुंवर से भूमि को पूर्ण प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की और कब्जा प्राप्त किया है और जमीन खरीदने के बाद से ही मैं वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ। किन्तु विक्रय पत्र के आधार पर उक्त क्रयसुदा कृषि भूमि मुझ वादी के नाम पर अंकन नही होने से भूमि विक्रेता खातेदार के नाम दर्ज रह गई और वर्तमान में जमीनों की कीमतों में काफी वृद्धि होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मन में भी लोभ और लालच की भावना जागृत हो गयी है और वे अपनी माता द्वारा बेची हुई जमीन को अपने नाम पर अंकन करवाकर पुनः दूसरे लोगों को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने एवं मुझ वादी को बेदखल करने की धमकीयां दे रहे है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का मेरी खरीदसुदा उक्त हिस्सा कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नही है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी की क्रयसुदा जमीन अर्थात विक्रेता एजनकुंवर के नाम दर्ज हिस्से को अपने नाम पर अंकित नही करावें, रहन, [illegible], बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.07.14 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested

करे, वादी को उसके द्वारा खरीदी गई भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, मौके व राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या असुविधा होने वाली नही है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ वादी को अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना असंभव होगा।

4. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 18.02.2024 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मुझ वादी की खरीदसुदा जमीन अपने नाम पर दर्ज कराने एवं मुझ वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अंत में निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में मुझ वादी को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह राजपूत के नाम दर्ज कुलिया हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे और इसी अनुसार मुझ वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें। मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त वर्णित आराजीयात में वादी द्वारा खरीदी गई भूमि का वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 विक्रेता एजनकुंवर पत्नी सवसिंह राजपूत के नाम दर्ज हिस्से को अपने नाम पर अंकित नही करावे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, कब्जा नही, प्रवेश नही करे, वादी को बेदखल नही करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 7 से 9 को पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज नामान्तरकरण खुलाने / पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो उसका पंजीयन नही करे, नामान्तरकरण नही खोले, न स्वीकृत करे एवं राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे, रेकर्ड में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नही क[illegible]वें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने से भी जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 से 6 केवल मात्र सहखातेदार होने से पक्षकार मुकद्धमा बनाया गया था। जिनके विरूद्ध अधिवक्ता वादीगण द्वारा कोई कार्यवाही नही चाहने से इनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई। प्रतिवादी संख्या 7 से 8 आवश्यक अनौपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायम की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी स्वयं कैलाश पिता जोधराज हिंगड़ द्वारा उपस्थित होकर बयान क्रमबंध करवाए कि मैने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2011 से मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल में स्थित आराजी नम्बर 530, 990, 940, 941 में खातेदार ऐजनकुंवर बेवा सवसिंह राजपूत का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया था और क्रय के उपरान्त क्रय दिनांक से मेरे ही उपयोग उपभोग में चली आ रही हैं। मैने असल विक्रय पत्र तत्कालीन पटवारी को दिया था परन्तु उन्होने उक्त भूमि को मेरे नाम अंकित नहीं किया। विक्रेता ऐजनकुंवर का निधन हो चुका हैं। दस्तावेज मौजा वांगरोदा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 338 प्रदर्श 1, खाता संख्या 139 प्रदर्श 2, खाता संख्या 136 प्रदर्श 3, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2011 असल प्रदर्श 4 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 4ए है जिसके एक्स स्थान पर ऐजनकुंवर की अंगुष्ठ निशानी हैं व वाई स्थान पर गवाह सोहनकुंवर की अंगुष्ठ निशानी है ए टु बी मेरे हस्ताक्षर है तथा सी टू डी गवाह हमेरसिंह के हस्ताक्षर हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर जमीन मेरे नाम पर की जावें।

7. अधिवक्ता वादी की एकतरफा दावा बहस सुनी। हमने अधिवक्ता वादी की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रदर्श 1 से 3 ग्राम वागरोदा पटवार हल्का भीमल तहसील मावली नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 338 पर दर्ज आराजी नम्बर 530 किता [illegible] क्षेत्रफल 1.1655 हैक्टेयर, खाता संख्या 139 पर दर्ज आराजी नम्बर 990 [illegible] 1.4164 हैक्टेयर भूमि तथा खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Rundadia
Date: 2025.07.14 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 136 पर दर्ज आराजी नम्बर 940, 941 किता 2 कुल रकबा 1.7887 हैक्टयर भूमि प्रतिवादीगण एवं खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। प्रदर्श–4ए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2011 अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि में खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह द्वारा अपने नाम दर्ज 1/6 हिस्से को वादी को विक्रय कर दिया गया। वादी के कथनानुसार खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह का निधन हो गया। जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। वादी द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि का 1/6 हिस्सा अपने नाम दर्ज करने हेतु राजस्व कर्मचारियो से निवेदन किया, परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नही किया गया। जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियों को नामान्तरकरण पारित कर 1/6 हिस्से से वादी के नाम खातेदारी अधिकार से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना चाहिए। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही किया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2011 से भूमि का क्रय करते ही उक्त भूमि का खातेदार हो चुका था। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में ही अंकन नही किया गया। जो राजस्व कर्मचारियो की भूल है। वादी वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार है। खातेदार एजनकुंवर के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भी बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही हुए। इससे जाहीर होता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। ऐसे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अंकित करना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम वागरोदा पटवार हल्का भीमल तहसील मावली नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 338 पर दर्ज आराजी नम्बर 530 किता 1 कुल क्षेत्रफल 1.1655 हैक्टेयर भूमि खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है, के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested

बजाय वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 139 पर दर्ज आराजी नम्बर 990 रकबा 1.4164 हैक्टेयर भूमि खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 136 पर दर्ज आराजी नम्बर 940, 941 किता 2 कुल रकबा 1.7887 हैक्टयर भूमि खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. कैलाश पिता जोधराज जी हिंगड़, आयु वयस्क, निवासी नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. नाथुसिंह पिता सवसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी वांगरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. सोहनकुंवर पुत्री सवसिंह जी पत्नी हरिसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी वांगरोदा, हाल घणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. भंवरकुंवर पुत्री सवसिंह जी पत्नी नाथूसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फरारा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज०)
4. श्यामलाल पिता माधुलाल जी जाति प्रजापत, उम्र वयस्क, निवासी चराणा, हाल मुकाम गढवाड़ा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
5. नेहा पत्नी राहुल जी गुप्ता, उम्र वयस्क, निवासी अशोकनगर उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
6. पष्पादेवी पत्नी दुर्गाप्रसाद जी जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी गोवर्धन विलास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
7. पटवारी, पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 75/24 (वाद) GCMS No. – 2024/186

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम वागरोदा पटवार हल्का भीमल तहसील मावली नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 338 पर दर्ज आराजी नम्बर 530 किता 1 कुल क्षेत्रफल 1.1655 हैक्टेयर भूमि खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested

एजनकुंवर पत्नी सवसिंह के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 139 पर दर्ज आराजी नम्बर 990 रकबा 1.4164 हैक्टेयर भूमि खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 136 पर दर्ज आराजी नम्बर 940, 941 किता 2 कुल रकबा 1.7887 हैक्टयर भूमि खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:40:33 IST
Reason: SelfAttested